

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/2021/2580

दिनांक :- 13/01/21

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 244वीं बैठक के बिन्दु संख्या 244.50 के निर्णय अनुसार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/नियम/2019 पार्ट-I दिनांक 11 मार्च 2020 में निर्धारित नियमों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	विशेषता	मण्डल कार्मिकों को देय छूट
1.	आंच, एलर्जी अस्थमा एण्ड चेरस्ट हॉस्पिटल, कै-32, इनकम टेक्स कॉलोनी, एस.एल. मार्ग, नियर दुर्गापुरा बस स्टेण्ड, जयपुर	सुपर स्पेशलाइज्ड इन एलर्जी एण्ड चेरस्ट फील्ड	20 प्रतिशत (ओपीडी/आईपीडी)
2	एसजी आई हॉस्पिटलस, नियर खादी एमपोरियम, अपो. खातारिया हाउस, रानी बाजार, बीकानेर	जनरल हॉस्पिटल	10 प्रतिशत कुल देय बिल पर
3	फोट्रिज डीटीएम हॉस्पिटल, रानी बाजार, सर्किल बीकानेर 334001	मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल	10 प्रतिशत (ओपीडी/आईपीडी)
4	बेबीलॉन चिल्ड्रन'स हॉस्पिटल एण्ड पेरीनेटल सेन्टर, 311, आदर्श नगर, जयपुर 302004	चिल्ड्रन हॉस्पिटल	20 % की छूट (आईपीडी)
5	एक्यू-एड आयुर्वेद चिकित्सा एवं पंचकर्म अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, जेएलएन मार्ग, जयपुर	आयुर्वेद चिकित्सालय	20 % की छूट (ओपीडी/आईपीडी)
6	मेदान्ता हॉस्पिटल, हनुमानगढ सूरतगढ बाईपास, श्रीगंगानगर राज. 335001	मल्टी हॉस्पिटल	10 % की छूट (ओपीडी/आईपीडी)
7	सुशीला डेन्टल क्लिनिक एण्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, सी-24, शर्मा कॉलोनी एक्स. स्वेज फार्म, नन्दपुरी मार्केट, सोडाला, जयपुर	डेन्टल क्लिनिक	20 प्रतिशत
8	राजस्थान हॉस्पिटल, मिलाप नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर 302018	जनरल हॉस्पिटल	20 प्रतिशत

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II, रा.आ.मं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.मं.....।
4. निदेशक विधि/ मुख्य संपदा प्रबन्धक/ अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/ उप सचिव/ विशेषाधिकारी (भूमि)/संपदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), रा.आ.मं, जयपुर।
5. प्रान्तीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.मं,.....।
7. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.मं,.....।
8. उक्त तालिका अनुसार चिकित्सालय को भेजकर लेख है कि मण्डल द्वारा निर्धारित नीति नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावे।
9. नोटिस बोर्ड/निजी/रक्षित पत्रावली।

✓ 10. Computer Cell

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक